



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2004/फाल्गुन 21, 1925

No. 249]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2004/PHALGUNA 21, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2004

का.आ. 335(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना के अधीन हजीरा से उरान पाइपलाइन सेक्टर के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, दर्पण बिल्डिंग, आर. सी. दत्त रोड़, अल्कापुरी, बड़ोदरा-390005 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर/ ब्लॉक नंबर	उ.का.अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
बलसाड	उमरगाँव	बोरीगाँव	रीवर	0-91-71
			63	
			63/1	
			63/1/1	
			63/1/2	
			63/1/3	
			63/2/1	
			63/2/2	
			63/2/3	0-63-70
			65/1	
			65/1/1	
			65/1/2	
			65/1/3	
			65/1/4	
			65/1/5	
			65/1/6	
			65/2	
			65/2/1	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
बलसाड	उमरगाँव	बोरीगाँव	65/2/2		बलसाड	उमरगाँव	बोरीगाँव	121/3	
			65/2/3					121/4	
			65/2/4	0-71-36				121/4/5/1	
			67/2					121/5	0-02-35
			67/3					89	
			67/5					89/1	
			67/7					89/1/3	
			67/9	0-08-45				89/2	
			68/3					89/3	0-39-63
			68/6	0-24-54				88	0-24-75
			69/1					101/1	
			69/2					101/2	
			69/3					101/3	
			69/4					101/4/5/1	
			69/5					101/4/5/2	
			69/6	0-08-47				101/4/5/3	
			72	0-26-34				101/4/5/4	
			81					101/4/5	
			81/1					101	
			81/2					101/4/6	
			81/3					101/4/5/7	
			81/4	0-05-34				101/4/5/8	
			70					101/4/5/9	
			70/1					101/4/5/10	
			70/2	0-39-18				101/5	
			54/1					101/6	0-37-79
			54/2					102	
			54/3					102/5/1	
			54/3/1	0-00-24				102/5/2	
			71/1					102/5/3	
			71/2	0-59-65				102/5/4	
			94	0-07-09				102/5/6	
			97/1					102/5/7	0-44-46
			97/2	01-23-55				कुल	07-00-02
			98/1		बलसाड	उमरगाँव	कचीगाँव	143/3/पैकी	
			98/2					143/3/पैकी	
			98/2/3/1					143/3/पैकी	
			98/3	0-21-42				143/3/पैकी	0-05-50
			98/3/1					147	
			121/1					147/1	0-28-09
			121/2					149	0-08-47

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
बलसाड	उमरगाँव	कचीगाँव	143/1		बलसाड	उमरगाँव	कचीगाँव	187/पैकी	
			143/1/पैकी	0-02-89				187/पैकी	0-04-79
			142/पैकी					119/1	
			142/पैकी	0-00-69				119/2	
			150/पैकी					119/3	
			150/पैकी					119/4	
			150/पैकी					119/5	
			150/पैकी					119/6	
			150/पैकी					119/7	0-22-30
			150/पैकी					138/1	
			150/पैकी					138/2	0-17-96
			150/पैकी					रोड	0-05-95
			150/पैकी					131/1/पैकी	
			150/पैकी					131/1/पैकी	0-16-64
			150/पैकी					171/1	
			150/पैकी					171/2/पैकी	0-58-16
			150/पैकी					132/1	
			150/पैकी	0-64-38				132/2	0-16-70
			153/1/पैकी					133/1	
			153/1/पैकी					133/1	0-71-97
			153/2/पैकी					97	0-17-46
			153/3/पैकी	0-02-07				128	0-11-26
			151/1/पैकी					96	
			151/1/पैकी	0-41-45				96/1/पैकी	0-39-96
			52/पैकी					95/1	
			52/पैकी					95/1/पैकी	
			52/पैकी					95/1/पैकी	
			52/पैकी					95/1/पैकी	
			52/पैकी					95/2/पैकी	
			52/पैकी					95/2/पैकी	
			52/पैकी					95/2/पैकी	
			52/पैकी					95/2/पैकी	
			52/पैकी					95/3/पैकी	0-10-80
			52/पैकी					नाला	0-09-50
			52/पैकी					94	0-11-46
			52/पैकी					93/1	
			52/पैकी					93/1/पैकी	
			52/पैकी	0-00-55				93/1/पैकी	
			188/पैकी					93/1/पैकी	
			188/पैकी	0-23-72				93/1/पैकी	
			197/2	0-15-39				93/1/पैकी	

1	2	3	4	5
बलसाड	उमरगाँव	कचीगाँव	93/2/पैकी 93/2/पैकी 93/2/पैकी 93/2/पैकी 93/2/पैकी 93/2/पैकी	0-43-85
			कुल योग	05-51-96
[फा. सं. 14014/5/03-जी.पी.(भाग-I)]				
स्वामी सिंह, निदेशक				
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS				
NOTIFICATION				
New Delhi, the 11th March, 2004				
S.O. 335(E).— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Hazira to Uran Pipeline Sector under National Gas Grid Project in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;				
And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;				
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.				
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Limited, Darpan Building, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara-390005 (Gujarat).				
SCHEDULE				
District	Tehsil	Village	Survey No./ Block No.	Land to be acquired for R.O.U. in Hectares
1	2	3	4	5
Valsad	Umargam	Borigam	River	0-91-71
			63	
			63/1	
			63/1/1	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Valsad	Umargam	Borigam	54/3		Valsad	Umargam	Borigam	102/5/1	
			54/3/1	0-00-24				102/5/2	
			71/1					102/5/3	
			71/2	0-59-65				102/5/4	
			94	0-07-09				102/5/5	
			97/1					102/5/6	
			97/2	01-23-55				102/5/7	0-44-46
			98/1					TOTAL	07-00-02
			98/2					143/3/P	
			98/2/3/1					143/3/P	
			98/3					143/3/P	
			98/3/1	0-21-42				143/3/P	0-05-50
			121/1					147	
			121/2					147/1	0-28-09
			121/3					149	0-08-47
			121/4					143/1	
			121/4/5/1					143/1/P	0-02-89
			121/5	0-02-35				142/P	
			89					142/P	0-00-69
			89/1					150/P	
			89/1/3					150/P	
			89/2					150/P	
			89/3	0-39-63				150/P	
			88	0-24-75				150/P	
			101/1					150/P	
			101/2					150/P	
			101/3					150/P	
			101/4/5/1					150/P	
			101/4/5/2					150/P	
			101/4/5/3					150/P	
			101/4/5/4					150/P	
			101/4/5					150/P	0-64-38
			101					153/1/P	
			101/4/6					153/1/P	
			101/4/5/7					153/2	
			101/4/5/8					153/3/P	0-02-07
			101/4/5/9					151/1/P	
			101/4/5/10					151/1/P	0-41-45
			101/5				Kachigam	52/P	
			101/6	0-37-79				52/P	
			102					52/P	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Valsad	Umargam	Kachigam	52/P		Valsad	Umargam	Kachigam	95/1/P	
			52/P					95/2/P	
			52/P					95/2/P	
			52/P					95/2/P	
			52/P					95/2/P	
			52/P					95/3/P	0-10-80
			52/P					Nala	0-09-50
			52/P					94	0-11-46
			52/P					93/1	
			52/P	0-00-55				93/1/P	
			188/P					93/1/P	
			188/P	0-23-72				93/1/P	
			197/2	0-15-39				93/1/P	
			187/P					93/1/P	
			187/P	0-04-79				93/2/P	
			119/1					93/2/P	
			119/2					93/2/P	
			119/3					93/2/P	
			119/4					93/2/P	
			119/5					93/2/P	0-43-85
			119/6					TOTAL	05-51-96
			119/7	0-22-30				[File No. L-14014/5/03-G.P.(Part-I)]	
			138/1					SWAMI SINGH, Director	
			138/2	0-17-96				अधिसूचना	
			Road	0-05-95				नई दिल्ली, 11 मार्च 2003	
			131/1/P					का.आ. 336(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज	
			131/1/P	0-16-64				पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,	
			171/1					1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम	
			171/2/P	0-58-16				कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत	
			132/1					सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या	
			132/2	0-16-70				का.आ. 1962 तारीख, 3 जून, 2002, द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न	
			133/1					अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गुजरात	
			133/1	0-71-97				राज्य में हजीरा-उरान पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक	
			97	0-17-46				गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग	
			128	0-11-26				के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;	
			96					और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख	
			96/P	0-39-96				12 अगस्त, 2002 का उपलब्ध करा दी गई थी;	
			95/1					और उक्त पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त	
			95/1/P					आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें	
			95/1/P					अननुज्ञात कर दिया गया है;	
								और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा	
								(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;	

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इंडिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इंडिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	उ.का.अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
नवसारी	जलालपोर	इरु	561	00-01-73
			560	0-06-72
			रोड	0-05-76
			570	0-12-33
			555	0-17-28
			553	0-04-03
			554	0-05-76
			रोड	0-20-74
			572	0-18-43
			578	0-39-17
			577/1	
			577/2	0-20-74
			577/3	
			579	0-36-86
			580/1	0-21-89
			580/2	
			598	0-04-61
			वी.बी. ओष इधान	0-72-58
			741	0-05-76

1	2	3	4	5
नवसारी	जलालपोर	इरु	740	0-00-38
			739	0-90-22
			742/1	
			742/2	
			742/3	0-25-34
			743	
			743/पैकी	0-00-38
			745/1	
			745/2	
			745/3-4	
			745/5	
			745/6	0-27-65
			746	0-08-06
			747	0-03-46
			748	0-06-91
			263	0-15-00
			749	0-23-04
			751/1	
			751/2	
			751/3	0-17-28
			कुल	05-12-10

[फा. सं. एल-14014/5/03-जी.पी. (भाग-1)]

स्वामी सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2003

S.O. 336(E).—Whereas by notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1962 dated the 3rd June, 2002, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying the pipeline for the transport of natural gas from Hazira-Uran Pipeline Project in the State of Gujarat by the GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 12th August, 2002;

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted its report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline:

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, proposing to lay the pipeline and thereupon the right of such user in the land shall, subject to the terms and conditions so imposed, vest in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Dist.	Tehsil	Village	Survey No./ Block No.	Land to be acquire for R.O.U. in Hectares.
1	2	3	4	5
Navsari	Jalalpor	ERU	561	00-01-73
			560	0-06-72
			Road	0-05-76
			570	0-12-33
			555	0-17-28
			553	0-04-03
			554	0-05-76
			Road	0-20-74
			572	0-18-43
			578	0-39-17

1	2	3	4	5
Navsari	Jalalpor	ERU	577/1	0-20-74
			577/2	
			577/3	
			579	0-36-86
			580/1	0-21-89
			580/2	
			598	0-04-61
			V.B. of Ethan	0-72-58
			741	0-05-76
			740	0-00-38
			739	0-90-22
			742/1	
			742/2	
			742/3	0-25-34
			743	
			743/p	0-00-38
			745/1	
			745/2	
			745/3-4	
			745/5	
			745/6	0-27-65
			746	0-08-06
			747	0-03-46
			748	0-06-91
			263	0-15-00
			749	0-23-04
			751/1	
			751/2	
			751/3	0-17-28
Total				05-12-10

[File No. L-14014/5/03-G.P. (Pt. I)]

SWAMI SINGH, Director